

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)
(Please fill in CAPITAL letters)

Name:

S/o.

Address

(कार्यालय उपयोग हेतु)

Regd. Fee.....

Admission Form Verify Letter

Regd. No.

12th Basis Merit

Category	Residence	General Merit No.	Reserved Merit No.

Total Marks :

Marks Obtained :

Percentage :

10th Basis Merit

Category	Residence	General Merit No.	Reserved Merit No.

Total Marks :

Marks Obtained :

Percentage :

8th Basis Merit

Category	Residence	General Merit No.	Reserved Merit No.

Total Marks :

Marks Obtained :

Percentage :

D.O.B.

Age : Year Month Days

Qualification : 10+ 2 / 10th / 8th

Name of Board : _____

Elegible/Not Eligible _____

Checked by (I)

Checked by (II)

Sign. Admission Incharge

Regd. in admission chart indicate seat no. in column

Alloted Trade :

Others :

Sign. Chart Incharge

Sign. Admission Incharge

Sign. Principal

- चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र -

(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिए)

यह प्रमाण-पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य अभ्यर्थी के लिए जारी किया जाना है।

मैं डॉ. (नाम).....

चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/कुमारी/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....की/का सावधानीपूर्वक चिकित्सा जाँच की है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश योग्य है। निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में किसी अयोग्यता का होना नहीं पाया गया है।

अभ्यर्थी को कोई गंभीर बीमारी या शारीरिक दुर्बलता नहीं है जिसके कारण वह निकट भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में अथवा कार्य सम्पादन में अयोग्य रहे।

अतः अभ्यर्थी चिकित्सा मानदण्ड अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में चिकित्सा के मानदण्ड अनुसार प्रवेश लेने योग्य है।

पहचान चिह्न.....

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
पद व अस्पताल की मोहर

अभ्यर्थी का पासपोर्ट
साईज का फोटो
(चिकित्सा अधिकारी
द्वारा ही प्रमाणित
होना चाहिये)
(आवश्यक)

दिनांक.....

- नोट :
1. अभ्यर्थी का फोटोग्राफ उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही प्रमाणित होना चाहिये। **(आवश्यक)**
 2. चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र राजकीय चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिये।
 3. चिकित्सा अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर मय सील लगी होनी चाहिये।
 4. शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी द्वारा विकलांगता के अतिरिक्त अन्य सभी तथ्यों हेतु योग्य होना अनिवार्य है। शारीरिक विकलांगता का सक्षम प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में अलग से भरा हुआ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।



श्री सुरजमल तपारिया
AN ISO 9001 : 2008
CERTIFIED INSTITUTE

श्री सुरजमल तपारिया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जसवंतगढ़ - 341304 (जागौर) राज., फोन : 01581-200223

व्यवसाय प्राथमिकता सर्वेक्षण प्रपत्र

नोट : अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म संस्थान में प्रवेश हेतु जमा करना चाहता है तो संस्थान में उपलब्ध व्यवसायों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार क्रमवार अंकित करें तथा इस प्रपत्र को अनिवार्य रूप से आवेदन-पत्र के साथ जमा करायें।

- (1) अभ्यर्थी का नाम :
- (2) पिता का नाम : जन्मतिथि :
- (3) अपना पूरा पता :
-

व्यवसाय की प्राथमिकता क्र. क्रम	व्यवसाय का नाम	सूचना सैकणिक योग्यता	योजना
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-IV



योग: कर्मसु कोशलम्
ANISO 9001:2008
CERTIFIED INSTITUTE

श्री सूरजमल तापड़िया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जसवंतगढ़ - 341304 (नागौर) राज., फोन : 01581-200223

काउन्सलिंग-पत्र

आवेदन पत्र संख्या.....

रजिस्ट्रेशन संख्या.....

श्री.....(अभ्यर्थी का नाम)
संस्थान की योग्यता (मैरिट) सूची में आपका नाम निम्न वर्णित क्रम संख्या पर है-

केटेगरी	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	माध्यमिक/ 10+2 की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण
सामान्य			
आरक्षित			


आप काउंसलिंग के लिए इस कार्यालय में दिनांक.....को प्रातः.....इस पत्र के साथ उपस्थित होंगे तथा साथ में निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र, अवधान द्रव्य, प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य राशि अवश्य लावें।

- 8वीं/माध्यमिक/ 10+2 की 10वीं / 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अंकतालिकाएँ।
- आयु प्रमाण-पत्र के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक/बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।
- सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र।
- सम्बन्धित सैनिक श्रेणी का प्रमाण पत्र/विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
- प्रपत्र सं. V के अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय शुल्क व अन्य लिखित सभी शुल्क साथ लावें।
- काउंसलिंग के लिए संस्थान में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का भत्ता व व्यय नहीं दिया जायेगा।
- काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र एवं अनिवार्य शुल्क के अभाव में चयन नहीं किया जायेगा व न ही प्रतीक्षा की जायेगी बल्कि योग्यता सूची के अनुसार अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा। अतः प्रवेश के समय हुई किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण-पत्र की 4 सत्यापित फोटो प्रतिलिपी का सेट एवं 5 पासपोर्ट साईज की फोटो काउंसलिंग के समय साथ लेकर आवें।
- आरक्षित श्रेणी में सीट (प्रवेश) पूर्ण होने पर आरक्षित श्रेणी के शेष अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिनांक.....का समय.....पर उपस्थित होने पर प्रवेश हेतु पुनः अवसर दिया जायेगा।

प्राचार्य

श्री सूरजमल तापड़िया औ. प्र. संस्थान, जसवन्तगढ़ (नागौर)

क्रमांक



बुक-पोस्ट

दिनांक.....

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

प्रेषक :

श्री सूरजमल तापड़िया औ. प्र. संस्थान
जसवन्तगढ़ (नागौर)

(उपरोक्त स्थान पर डाक का पता अभ्यर्थी स्वयं भरें)



श्री सुरजमल तपारिया
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जसवंतगढ़, जयपुर

Shree Surajmal Taparia Industrial Training Institute

Jaswantgarh -341304 (Nagaur) Ph. : 01581 - 200223

GUARDIAN INTRODUCTION FORM

(FOR OFFICE USE)

NAME OF TRAINEE	<input type="text"/>
TRADE	<input type="text"/>
UNIT	<input type="text"/>

1st GUARDIAN

NAME

RELATION WITH TRAINEE

ADDRESS

CONTACT NO.

MOBILE NO.

Signature

Signature

2nd GUARDIAN

NAME

RELATION WITH TRAINEE

ADDRESS

CONTACT NO.

MOBILE NO.

Signature

Signature

I/We read all the instructions carefully & I/We understand them all. I/We shall abide to follow the rules & regulations as printed backside of this form and Prospectus.

Date.....

Sign. Trainee

Sign. 1st Guardian

Sign. 2nd Guardian

══════ नियम ══════

- (1) अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विवरण गलत पाये जाने पर संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- (2) संस्थान द्वारा निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य होगा। (किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है।)
(गणवेश: ग्रे (कबूतरी रंग) पेन्ट एवं शर्ट, काले चाड़े के जूते।)
- (3) निर्धारित शुद्धा नियमों का पालन करना होगा।
- (4) देरी से आने पर 1 माह में प्रथम 3 दिन तक 5 रुपया प्रतिदिन एवं 3 दिन से अधिक होने पर 10 रु. प्रतिदिन शास्ति के रूप में जमा कराने होंगे एवं संस्थान प्राचार्य/अनुशासनात्मक द्वारा दिया गया अतिरिक्त कार्य दण्ड स्वरूप करना होगा।
- (5) प्रशिक्षणार्थी नियमित नहीं रहने पर, सन्तोषजनक प्रगति नहीं होने पर एवं संस्थान के नियमों की पालना नहीं करने पर संस्थान के प्राचार्य को उसे निलम्बित करने, नाम पृथक् करने का अधिकार है। विशेष मामलों में पुनः प्रवेश किये जाने पर प्रवेश शास्ति के रूप में 1000 रु. जमा करवाने होंगे। पुनः प्रवेश उसी स्थिति में दिया जायेगा कि प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति परीक्षा से पूर्ण नियमानुसार पूर्ण होने की संभावना होगी।
- (6) प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित माह की 10 तारीख तक जमा करवाना आवश्यक होगा। देरी से शुल्क जमा कराने पर विलम्ब शुल्क/शास्ति के प्रति सैकड़ा 5 रु. की दर से राशि जमा करवानी होगी। परन्तु निर्धारित माह की अन्तिम दिनांक के पश्चात् भी शुल्क जमा नहीं करवाने पर संस्थान से नाम पृथक् कर दिया जायेगा।
- (7) अवधान राशि निम्न परिस्थितियों में वापस नहीं लौटायी जायेगी -
(अ) अगर प्रशिक्षणार्थी ने जिस्ट सत्र के लिए प्रवेश लिया है वह पूर्ण नहीं करता है तथा संस्थान को बिना फीस दिये छोड़कर चला जाता है।
(ब) अगर प्रशिक्षणार्थी का नाम किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुपस्थिति व गलत बयान देने के कारण काट दिया जाता है।
(स) प्रशिक्षणार्थी को अवधान राशि अदेय प्रमाण पत्र देने के पश्चात् ही लौटायी जायेगी।
(द) अवधान राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देव नहीं होगा।
- (8) **संस्थान परिसर में मोबाइल लाना सख्त मना है। मोबाइल लाने पर जब्त कर लिया जायेगा तथा 500 रु. शास्ति देने होंगे।**
- (9) बलास रून्/कार्यशाला/संस्थान परिसर में तोड़फोड़ अथवा अन्य गतिविधियाँ करने पर संयुक्त रूप से शास्ति देनी होगी।
- (10) संस्थान के किसी भी कर्मचारी के साथ अमर व्यवहार करने पर तुरन्त संस्थान से नाम पृथक् कर दिया जायेगा।
- (11) किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर पहचान पत्र पर दिये गये अभिभावक से ही वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा, अन्य किसी से वार्ता नहीं की जायेगी।
- (12) संस्थान परिसर में धूम्रपान एवं मूतखे का सेवन वर्जित है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा करता पाया जायेगा तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान से पृथक् कर दिया जायेगा।